न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 44/2018 (जीसीएमएस **नम्बर 2018/00039**)

1. नान्छी देवी पत्नी बोदूराम
2. प्रभुदयाल पुत्र बोदूराम
3. शंकरलाल पुत्र बोदूराम
4. बद्रीनारायण पुत्र बोदूराम
5. चेताराम पुत्र बोदूराम
6. रामकरण पुत्र बोदूराम
7. कैलाश पुत्र बोदूराम
8. नानू पुत्र भैरया
9. सरस्वती देवी पत्नि स्व. पांचूराम
10. कृष्ण दत्तक पुत्र स्व0 लादू
11. संतोष पुत्र स्व0 महादेव
12. रामेश्वर पुत्र स्व0 छोटू
13. लालाराम पुत्र स्व0 रामपाल
14. जगदीश पुत्र स्व0 रामपाल
15. राहूल पुत्र स्व0 रामपाल
16. हेमराज पुत्र स्व0 रामपाल
17. मनफूली पुत्र स्व0 रामपाल
18. बाबूलाल दत्तक पुत्र स्व0 रामकुंवार
19. नारायणी देवी पत्नी गोपाल
20. हनुमान पुत्र गोपाल
21. नाथू पुत्र गोपाल
22. भंवरलाल पुत्र सेडू

    समस्त जातियान मीणा निवासीयान ग्राम डेहरा तहसील चौंमू जिला जयपुर।
23. श्रीमती तारामणी पत्नी श्री हीरालाल मीणा निवासी सरकारी स्कूल के पास बदनपुरा जिला जयपुर

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार(भू अभिलेख) तहसील चौंमू जिला जयपुर।
2. नानूराम पुत्र श्री चन्दाराम, जाति यादव, निवासी ग्राम ढेहरा, तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. बद्रीनारायण पुत्र श्री रामसहाय, जाति यादव, निवासी ग्राम ढेहरा, तहसील चौंमू जिला जयपुर।
4. भागचन्द पुत्र श्री ग्यारसीलाल, जाति यादव, निवासी ग्राम ढेहरा, तहसील चौंमू जिला जयपुर।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार **(भू.अ.) तहसील चौंमू जिला जयपुर दिनांक 29.12.2017 जिसके द्वारा खाता संख्या 207 में स्थित कुल किता 59 कुल रकबा 20.71 है0 ग्राम डेहरा तहसील चौमू जिला जयपुर के बाबत आदेश दिनांक 12.10.2017 को रिव्यू कर निरस्त करते हुये भू दान यज्ञ बोर्ड का इन्द्राज सम्बन्धित जमाबन्दी में पुनः दर्ज करने का आदेश पारित किया गया।**

उपस्थित–

1. श्री हनुमान सहाय, वकील अपीलान्ट
2. श्री महेश चन्द शर्मा, रेस्पोडेन्ट नं. 2 से 4 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से

निर्णय

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक –05.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) तहसील चौमू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 29.12.2017 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 09.02.2018 को प्रस्तुत हुई है।

2. तहसीलदार (भू.अ.) तहसील चौमू जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 29.12.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट नान्छी देवी पत्नी बोदूराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार (भू.अ.) तहसील चौमू जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 29.12.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खाता संख्या 207 वाके ग्राम डेहरा तहसील चौमू जिला जयपुर की भूमि स्थित है उक्त भूमि के लैण्ड होल्डर अपीलार्थीगण है जो अपने हिस्से पर बहैसियत स्वामी काबिज है। उक्त खाता संख्या की भूमि में विभिन्न खसरा नम्बरान है, जिनका ब्यौरा अग्र प्रकार से है– खसरा संख्या 171/1123 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 172/1123 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 174/1123 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 401/1154 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 402/1155 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 425/1160 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 427/1161 रकबा 0.07 है0, खसरा नम्बर 428 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 432 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 437 रकबा 0.73 है0, खसरा नम्बर 438 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 439 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 441 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 442 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 443 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 444 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 445 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.16 है0, खसरा नम्बर 452 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 454 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 455 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 456 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 457 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.31 है0, खसरा नम्बर 459 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.88 है0, खसरा नम्बर 461 रकबा 0.84 है0, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.76 है0, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.86 है0, खसरा नम्बर 465 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 466 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 505/1171 रकबा 0.03 है0, खसरा नम्बर 506 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 507 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 508 रकबा 0.73 है0, खसरा नम्बर 510 रकबा 0.86 है0, खसरा नम्बर 511 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 514 रकबा 0.78 है0, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.26 है0, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 518 रकबा 2.50 है0, खसरा नम्बर 519 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 520 रकबा 0.86 है0, खसरा नम्बर 521 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 522 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 523 रकबा 0.41 है0, कुल खसरा 59 कुल रकबा 20.71 है0 है। उक्त आराजी में अपीलार्थीगण के पूर्व हक पूर्वाधिकारियों को आवंटित की गई थी, तभी से अपीलार्थीगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त है तथा वर्तमान में अपीलार्थीगण अपने हिस्से व हक के अनुसार उक्त भूमि में गेंहू, सरसों की फसल बो रखी है तथा अपीलार्थीगण ने सिंचाई के लिये कृषि कनेक्शन भी प्राप्त कर रखे है, जो चालू है। अपीलार्थीगण ने तहसीलदार भू अभिलेख तहसील चौमू को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2017 को प्रार्थी रामकरण द्वारा प्रस्तुत की, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 27.09.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात तहसीलदार महोदय ने दिनांक 12.10.2017 को आदेश पारित कर प्रश्नगत भूमि पर की जमाबन्दी पर अपीलार्थीगण की खातेदारी इन्द्राज किये जाने हेतु आदेश किया गया तथा उक्त आदेश के पश्चात अपीलार्थीगण में से अपीलार्थी रामकरण ने एक वाद बाबत विभाजन प्रस्तुत किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी चौमू ने सम्पूर्ण खाते की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये तथा पैंसिल नोट से लाल स्याही से अंकित किया गया किन्तु तहसीलदार भू अभिलेख तहसील चौमू ने बिना अपीलार्थीगण को सुने एक रिव्यू प्रार्थना पत्र पर विचार कर अपने पूर्व आदेश दिनांक 12.10.2017 को निरस्त कर प्रश्नगत भूमि का इन्द्राज पूर्ववत भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर के नाम पुनः इन्द्राज किये जाने के आदेश पारित किये गये। आदेश दिनांक 29.12.2017 अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है लिहाजा आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने रिव्यू प्रार्थना पत्र की सुनवाई करते हुये अपने सम्पूर्ण आदेश को ही बदल दिया, जबकि रिव्यू प्रार्थना पत्र की सुनवाई में अत्यधिक कम क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है, जिसमें केवल फेस ऑन रिकॉर्ड से प्रकट होने वाली कानूनी भूलों को ही दूर किया जा सकता है, लिहाजा आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने काफी वर्ष पूर्व अपीलार्थीगण में निहित सम्पति के बारे में मनमानी तरीके से आदेश पारित किया है लिहाजा आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त की गई रिपोर्ट दिनांक 27.09.2017 को अनदेखा कर पश्चातवर्ती रिपोर्ट को अनावश्यक बल देकर आदेश पारित किया है। लिहाजा आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि अपीलार्थीगण मौके पर निरन्तर खेती कर रहे है और वर्तमान में उन्होंने भूमि के अधिकांश भाग में गेंहू व सरसों की फसल बो रखी है। किन्तु पश्चातवर्ती पटवारी रिपोर्ट जो कि मौके की स्थिति के विपरित है, पर विश्वास कर रिव्यू प्रार्थना पत्र की परिधि से परे जाकर आदेश पारित किया है। लिहाजा आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 24 राजस्थान भू दान यज्ञ अधिनियम 1954 के नवीन प्रावधानों की मूल भावना के विपरित जाकर तानाशाही आदेश पारित किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में इस तथ्य का कतई खुलासा नही किया है कि किस विधिक त्रुटि, चूक के आधार पर उन्हे अपने आदेश को रिव्यू कर पूरी तरह से बदलना पडा लिहाजा आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को रिव्यू प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने से पूर्व न तो सुनवाई का मौका दिया और नहीं इस संबंध में अपीलार्थीगण को बिना नोटिस जारी किये व सुने बिना ही आलोच्य आदेश पारित कर दिया। लिहाजा आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि सभी अपीलार्थीगण का नाम संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में भू दान लैण्ड होल्डर के नाम से अंकित है और आलोच्य आदेश से अपीलार्थीगण के विधिक अधिकार सीधे रूप से प्रभावी होते है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना, अपनी सरसरी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस सिद्वान्त की मूल भावना के विपरित जाकर आदेश पारित किया है। लिहाजा आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष उपलब्ध दो पटवारी रिपोर्ट में से पीक एण्ड च्यूज की थ्योरी के आधार पर एक रिपोर्ट पर विश्वास कर दूसरी को बिना किसी आधार पर अनदेखा कर दिया जबकि ऐसे विरोधाभास की स्थिति में या तो स्वयं को मौके का अवलोकन करना चाहिये था अथवा पटवारियों की टीम गठित कर मौके का अवलोकन टीम द्वारा करवाया जाना चाहिये था किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने तानाशाही रूप से साक्ष्य को नकार कर आलोच्य आदेश पारित किया है लिहाजा आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में समुचित रूप से जांच किये बिना यांत्रिक रूप से आदेश पारित किया है लिहाजा आदेश अपास्त किये जाने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों का सही विवेचन व विश्लेषण नहीं कर आदेश पारित किया है लिहाजा आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार (भू.अ.) चौमू जिला जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट 2 से 4 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम डेहरा व कानपुरा, की सीमा पर रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति है, जो प्रार्थीगण के मकानात वगैराह ग्राम डेहरा में स्थित है। ग्राम डेहरा में स्थित खाता संख्या 207 की कृषि भूमि जिसके खसरा नम्बर 171/1123, 172/1123, 174/1123 401/1154, 402/1155, 425/1160, 427/1161, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 466, 505/1171, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 कुल खसरा 59 कुल रकबा 20.71 है0 भूमि स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड से चली आ रही है। जिसमें अन्य नाम नानू पुत्र भैरया, नान्छी देवी पत्नी बोदूराम, भोली देवी, लाली देवी, बिरदी देवी, सुनिता देवी, भंवरी देवी पुत्रीयान बोदूराम, प्रभूदयाल, शंकरलाल, बद्रीनारायण, रामकरण, कैलाश पुत्रान बोदूराम, सरबती देवी पत्नी पांचूराम, सोनी देवी पुत्री लादूराम, बाबू लाल, सन्तो ा, रामेश्वर पुत्रान छोटूराम, लालाराम, राहुल पुत्रान रामपाल, मनफूली पत्नी रामपाल भवंर लाल पुत्र सेडू समस्त जाति मीणा हैं। उक्त भूमि पर ग्राम डेहरा व कानपुरा के लोग जिसमें सभी समाजों के लोग बसे हुये हैं, मौके पर पुख्ता मकानात, कॉलोनी, बाजार, दुकानें, एक फैक्ट्री, स्कूल, पार्क, शमशान व सडके नालीयां, ग्रेवल सडकें, पानी की टंकिया इत्यादित मौके पर मौजूद है, तथा विधायक कोटे से सडक के अलावा सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत बोरिंग, पेयजल लाईन आदि भी डली हुई है व उक्त भूमि पर वर्तमान में 1000–1500 लोगों की आबादी बसी हुई है, जो कि आबादी लगभग 50 साल से इस भूमि पर आबादी बसी हुई है और धीरे–धीरे उक्त भूमि पर सरकारी योजानायें विकसित की गई है। प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये व मौके की वास्तविक रिपोर्ट लिये बिना उक्त वर्णित भूमि में भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर का नाम हटा दिया। जिसके सन्दर्भ में दिनांक 21.12.2017 को ई–मित्र के यहां से जमाबन्दी प्रार्थीगण द्वारा अपने कार्य हेतु निकलवाने पर पता चला। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य ग्रामवासियों की बसावट है जिनके मकानात में विघुत कनेक्शन एवं बनी हुई दुकानों में कॉमर्शियल कनेक्शन विघुत के ले रखें हैं। जिनका निरन्तर उपयोग उपभोग कर रहे है तथा इस भूमि पर स्वामित्व प्रार्थीगणों के दस्तावेज मं विक्रय इकरारनामें व खातेदारों द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से आवासीय कॉलोनी का विकास किया गया है, जिनके पट्टे भी प्रार्थीगणों के अतिरिक्त अन्य ग्रामवासियों को दिये गये हैं, प्रार्थीगण मय परिवार पुख्ता मकानात निर्मित कर उक्त भूमि पर कब्जे में रह कर उपयोग उपभोग लगाता करते चले आ रहे हैं। तहसीलदार (भू.अ.) चौमू जिला जयपुर ने प्रकरण में रिव्यू का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का जाटावाली की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश तहसीलदार (भू.अ.) चौमू जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में अपीलार्थीगण को इस कारण भ्रम हो गया कि उनके अभिभा ाक ने उन्हें अपील के लिये 90 दिवस का समया बता दिया। सभी अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति है तथा अल्प शिक्षित है, इस कारण

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील सदभाविक रूप से अभिभाषक के द्वारा दी गई जानकारी के फलस्वरूप उत्पन्न हुये भ्रम के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश व पत्रादि के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में रिव्यू का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का जाटावाली से पुनः रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 297 ग्राम डेहरा में स्थित किता 59 रकबा 20.71 हैक्टेयर के मौके की रिपोर्ट अनुसार मौके पर प्लाटिंग की हुई हैं अन्य लोगों के रहवास बने हुये हैं मौके पर भू–दान होल्डरों द्वारा आंवटन ार्तों की पालना नहीं की जा रही है। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा प्रश्नगत भूमि बाबत मिथ्या व मनगढन्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर आदेश पारित करवा कर पक्षकारों को अनुचित लाभ दिया गया है तथा पक्षकारों द्वारा उपखण्ड अधिकारी न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लिया गया है। इस प्रकार गलत रिपोर्ट के आधार पर जारी आदेश को निरस्त कर ग्राम डेहरा प.म. जाटावाली स्थित खाता संख्या 207 में स्थित किता 59 रकबा 20.71 हैक्टेयर की खातेदारी इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार (भू.अ.) तहसील चौमूं द्वारा कार्यालय से पूर्व में जारी आदेश क्रमांक/एलआर/17/4061 दिनांक 12.10.2017 को निरस्त कर प्रश्नगत भूमि का इन्द्राज पूर्ववत भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर का इन्द्राज पुनः दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) तहसील चौमूं जिला जयपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा तहसीलदार (भू.अ.) तहसील चौमूं जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2017 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
समागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

समागीय आयुक्त,
जयपुर